Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

कोविड-१९ महामारी के दौरान दक्षिण आशिया की महिला घरखाता कामगारों पर होनेवाली हिंसा का संबोधन

प्रमुख सिद्धांत

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

1. आइए एक दूसरे की बात सुनें
2. पहले से राय ना बना लें, आलोचनात्मक रवैया ना रखें, शक न करें और किसी को दोष न दें
3. आइए मतभेदों के लिए खुले रहें
4. इस चर्चा को गोपनीय रखें
5. सहमति सबसे महत्वपूर्ण है

कोविड-१९ महामारी को समझना

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

1. कोरोनावायरस (कोविड-१९) एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है

2. "महामारी" क्योंकि यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई है

3. अब तक कोविड-१९ से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है जो बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है

4. अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है की कोविड-१९ बनाने वाले विषाणु के संपर्क में आने से बचें

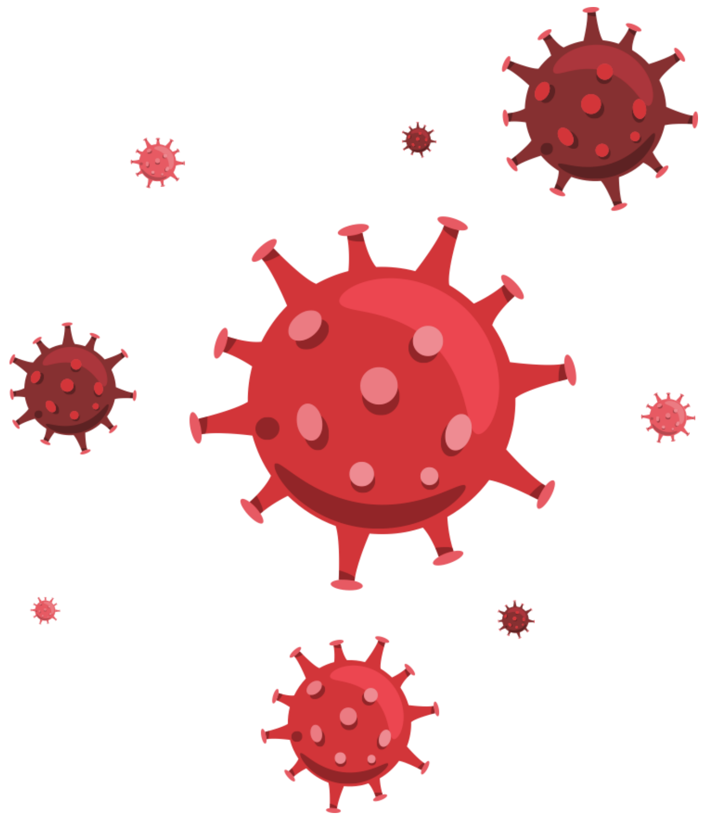

(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

कोविड-१९ महामारी को समझना

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के जीवन और काम पर इस महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है?

1. देश-व्यापी तालाबंदी
2. स्वास्थ्य क्षेत्र में संकट
3. कार्यक्षेत्रों, कारखानों, कार्यालयों, व्यवसायों, बाजारों आदि को बंद करना
4. नौकरी, काम और आजीविका का नुकसान
5. घरखाता कामगारों पर महामारी का प्रभाव विनाशकारी रहा है

(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

घरखाता कामगारों पर महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

घरखाता कामगारों के काम और आजीविका पर पड़ा प्रभाव

1. काम और आय की कपात
2. पिछले वेतन का भुगतान न करना
3. कम मजदूरी/ वेतन
4. ऋणग्रस्तता में वृद्धि
5. सहायता और वित्तीय सहायता की अनुपस्थिति
6. काम और भविष्य के बारे में अनिश्चितता

घरखाता कामगारों के स्वास्थ्य और कल्याण पर पड़ा प्रभाव

1. विषाणु के संपर्क में वृद्धि
2. भोजन और पोषण में कमी
3. महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं
4. अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं और जानकारी में कमी
5. अत्यधिक तनाव, चिंता और अवसाद

घरखाता कामगारों पर महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव

घरखाता कामगारों पर अन्य प्रभाव

1. काम का बोझ बढ़ा- घरेलू, बच्चों-बूढ़ों की देखभाल के कार्य और खुद का काम
2. प्रतिबंध और नियंत्रण में वृद्धि
3. घर पर गोपनीयता की कमी और खुद के लिए समय की कमी
4. घरखाता कामगारों को सामूहिक में संगठित करने में कठिनाई

महामारी और लॉकडाउन के दौरान से महिला घरखाता कामगारों पर हिंसा का खतरा बढ़ गया है

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) को समझना

महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) क्या हैं?

1. एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा सामान्यीकृत है

2. हिंसा के माध्यम से महिलाओं पर वर्चस्व, नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये नियंत्रण मजबूत होता जाता है

3. विश्व स्तर पर, 3 में से कम से कम 1 महिला अपने जीवनकाल में हिंसा का सामना करती है

4. पुरुष और महिलाएं दोनों, हिंसा के अपराधी और हिंसा के शिकार हो सकते हैं, हालांकि, महिलाएं अधिक असुरक्षित हैं और अधिक हिंसा का सामना करती हैं

महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) क्या हैं?

1. ऐसी क्रिया, या क्रिया की धमकी जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक (यौन), मानसिक, आर्थिक नुकसान और पीड़ा होती है
2. जीवन के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हो सकता है
3. शारीरिक हिंसा, लैंगिक (यौन) हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और आर्थिक हिंसा

महिला घरखाता कामगारों पर होनेवाली हिंसा क्या हैं?

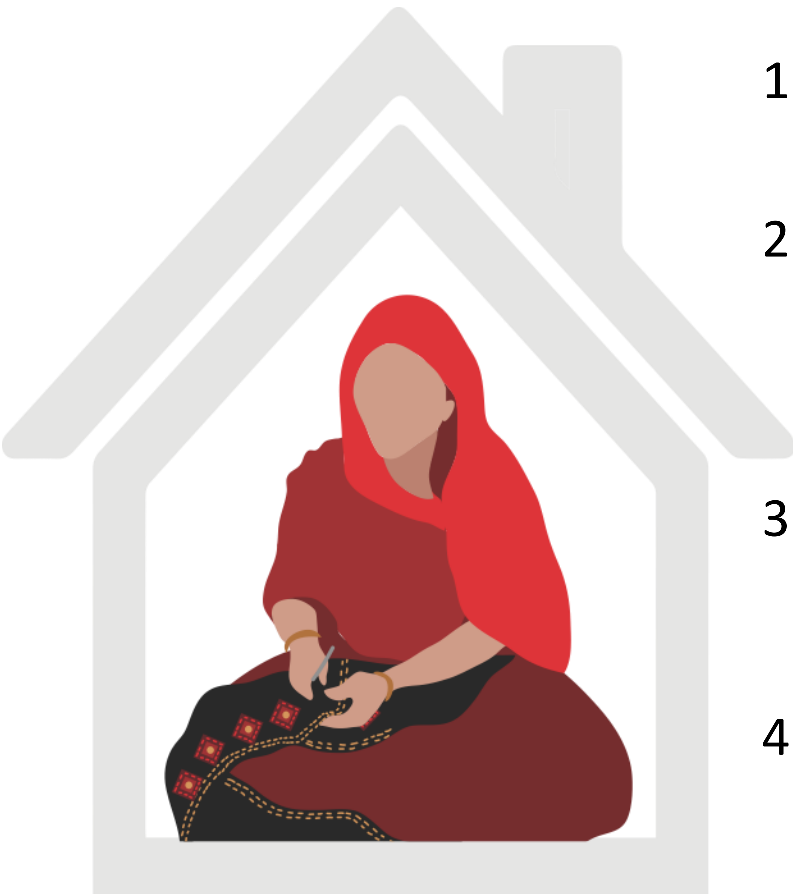

1. घरखाता कामगार के लिए घर ही कार्यस्थल है
2. घरखाता कामगारों के बीच घरेलू हिंसा अत्याधिक प्रचलित है और अक्सर अदृश्य होती है
3. काम पर हिंसा ठेकेदारों और अन्य बिचौलियों के हाथों हो सकती है
4. घरखाता कामगारों की सबसे कम संगठित की गई श्रेणी है क्योंकि वे अपने घरों से अलग-अलग काम करते हैं

1. हिंसा के विभिन्न रूप आपस में जुड़े हुए हैं
2. अलग-अलग समय और/या एक ही समय में एक महिला हिंसा के विभिन्न रूपों को भी झेलती हैं
3. अन्य विभिन्न तरीकों से हिंसा प्रकट हो सकती हैं और अनुभव होती है
4. महामारी और लॉकडाउन ने घरखाता कामगारों के लिए हिंसा के संसर्ग, जोखिम और खतरे को बढ़ा दिया है

शारीरिक हिंसा

- थप्पड़ मारना, मारना, हाथ मरोड़ना, छुरा घोंपना, गला घोंटना, मारना, मारना, मारना, मारना, तेजाब से हमला करना, किसी वस्तु या हथियार से वार करने की धमकी देना, हत्या

और अन्य शारीरिक रूप से हानिकारक पारंपरिक प्रथाएं

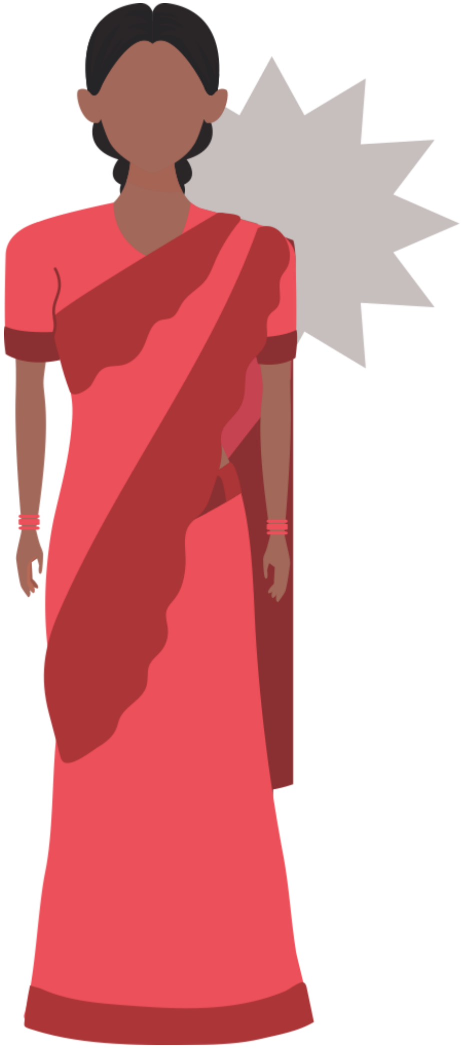

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers' Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

लैंगिक (यौन) हिंसा

- धमकी देकर, डरा-धमकाकर या शारीरिक बल के माध्यम से ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाना
- अवांछित यौन कार्य करने या किसी दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना
- ठेकेदार और अन्य बिचौलिये काम या भुगतान के बदले में यौन संबंध के एहसान की माँग करते हैं

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers' Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

आर्थिक हिंसा

- धन की मनाई करना, घरेलू खर्चों में योगदान से इनकार करना, भोजन और बुनियादी जरूरतों से वंचित करना, स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं तक की पहुंच को नियंत्रित करना, रोजगार तक की पहुंच को नियंत्रित करना, करीबी साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा जबरदस्ती कमाई को छीनना

- भुगतान ना करना, विलंबित भुगतान करना, पूरा किए गए काम के लिए ठेकेदारों और अन्य बिचौलियों द्वारा अपर्याप्त भुगतान मिलना

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers' Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

मानसिक (मनोवैज्ञानिक) हिंसा

ऐसा व्यवहार जो महिला को मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करता है. उदाहरण के लिए -

- घर पर और काम पर मुंह-ज़बानी (मौखिक) आक्रामकता
- ताना मारना, नकारात्मक टिप्पणी करना, दोषारोपण करना, शर्मसार करना और मौखिक दुर्व्यवहार के अन्य तरीके
  लगातार अपमान
- डराना, छोड़ने की धमकी देना, घर से बाहर निकालने की धमकी देना, घर तक सीमित करने की धमकी देना
- लगातार निगरानी और नियंत्रण
- बच्चों को हिरासत में लेने की धमकी देना
- वस्तुओं को तोड़ना और नष्ट करना

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers' Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

हिंसा के प्रभाव को समझना

घरखाता कामगारों पर हिंसा का प्रभाव

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

घरखाता कामगारों के काम और आजीविका पर प्रभाव

1. काम करने और लगातार काम करने में शारीरिक अक्षमता
2. कम उत्पादकता और एकाग्रता का नुकसान
3. पैसे और खर्चों पर स्वयं का नियंत्रण कम
4. कार्य से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता में कमी

घरखाता कामगारों के स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव

1. अनचाही गर्भावस्था, यौन संचारित संक्रमण, एचआईवी का खतरा, प्रसव से संबंधित असुरक्षित सेवाओं का उपयोग, गर्भपात आदि.
2. आघात, भय, अवसाद और आत्मघाती विचार
3. तनाव और चिंता के उच्च स्तर
4. आत्मसम्मान, आत्म-विश्वास और आत्म-मूल्य की भावना पर प्रभाव और हिंसा के लिए स्वयं को दोष देने की प्रवृत्ति

घरखाता कामगारों पर हिंसा का प्रभाव

घरखाता कामगारों पर अन्य प्रभाव

1. शारीरिक चोट, दर्द, निशान, खरोंच
2. घर से बहार आने-जाने और और पहुंच पाने पर प्रतिबंध
3. सहारा, सुरक्षा, सुरक्षा सूचना और सेवाओं से कट जाना
4. किसी अन्य तरीके से (शारीरिक, लैंगिक/यौन, आर्थिक रूप से) हिंसा का प्रभाव महिला पर मानसिक (मनोवैज्ञानिक) रूप से भी पड़ेगा

क्या आपको लगता है कि घरखाता कामगारों पर होनेवाली हिंसा उनके बच्चों, घरों और परिवारों को भी प्रभावित करती है?

हिंसा का बच्चों पर प्रभाव

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

1. घर पे होनेवाली हिंसा का बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और जीवन भर रह सकता है
2. बच्चे प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से बाल शोषण और शारीरिक शोषण और/या भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं
3. लडकियां और लड़के अलग तरह से हिंसा का अनुभव करते हैं
4. माता-पिता या देखभाल करने वाले पर होनेवाली हिंसा, बच्चों के भविष्य में देखभाल करने की क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है
5. हिंसा का बच्चों पर गंभीर प्रभाव होता है और उनके रोजमर्रा की ज़िन्दगी में कई तरह और रूपों में प्रकट होता है

हिंसा का बच्चों पर प्रभाव

1. अपने घरों और/या अपने माता-पिता या देखभालकर्ता पर होनेवाली हिंसा के बारे में बच्चों को बात करने के लिए सहायक और सुरक्षित स्थानों की कमी

2. हिंसा के संपर्क में आने वाले बच्चों को मदद और आराम के लिए, विश्वस्त वयस्कों और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अपने अनुभवों से निपटने में मदद करेंगे

कोविड-१९ महामारी से पहले, बांग्लादेश में कुछ 4.5 करोड़ बच्चे हिंसा का सामना कर रहे थे (MICS 2019). मनुशेर जोनो फाउंडेशन के एक अध्ययन के अनुसार, महामारी के कारण अब हिंसा में 31% की वृद्धि हुई है

श्रीलंका में, एक प्रारंभिक चेतावनी का संकेत आया एक चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल की संख्या में चिंताजनक वृद्धि के रूप में - बच्चों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए. 16 मार्च और 7 अप्रैल 2020 के अवधि बीच, 292 बाल संरक्षण शिकायतों में से 121 संबंधित मामलों में क्रूरता की बात सामने आई- जो की औसत से 40% ऊपर है

कोविड-१९ महामारी के दौरान दक्षिण आशिया में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) के बढ़े हुए उदाहरण

दक्षिण आशिया में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) की वृद्धि

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

बांग्लादेश

- संयुक्त राष्ट्र के मूल्यांकन कार्य समूह की अग्रिम मूल्यांकन रिपोर्ट की बताता है कि 49.2% महिलाओं और लड़कियों को लगता है कि वर्तमान लॉकडाउन में सुरक्षा की समस्या है
- कम से कम 33% महिलाएं और लड़कियां वर्तमान में इस बात से अनजान हैं कि परिवार के सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लिए मदद कहाँ से लेनी चाहिए
- अप्रैल, 2020 के महीने में, मीडिया ने लिंग-आधारित हिंसा के 19 मामलों की पुष्टि की है- जिनमें से अधिकांश बलात्कार और शारीरिक हमले थे
- मनुशेर जोनो फाउंडेशन (एमजेएफ) द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में देश के 53 जिलों में कुल 13,494 महिलाओं और बच्चों हिंसक घटनाओं के पीड़ित पाया (जून 2020)

भूटान

- रॉयल भूटान पुलिस (RBP) ने मार्च 2020 में घरेलू हिंसा के 13 मामले दर्ज किए, और अप्रैल 2020 में 7 मामले दर्ज किए गए (अप्रैल 2020)

दक्षिण आशिया में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) की वृद्धि

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

भारत

- 25 मार्च से 31 मई 2020 के बीच महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा की 1,477 शिकायतें की गईं. 68 दिनों की इस अवधि में पिछले 10 वर्षों में मार्च और मई के बीच आने वालों की तुलना में अधिक शिकायतें दर्ज की गईं. हिंसा का अनुभव करने वाली लगभग 86% महिलाओं ने कभी मदद नहीं मांगी, और 77% पीड़ितों ने किसी को भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया. घरेलू हिंसा से मदद और सुरक्षा की मांग करने वाली महिलाओं से कॉल की संख्या में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी

नेपाल

- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में दो महीने की लॉकडाउन अवधि के दौरान घरेलू हिंसा के 604 मामले हुए, जिनमें से 139 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित थे. इससे पहले की अवधि की तुलना में लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में 77 फीसदी की वृद्धि हुई है.

दक्षिण आशिया में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) की वृद्धि

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

पाकिस्तान

- सरकारी अधिकारियों ने बताया की पूर्वी पंजाब प्रांत में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाओं में 25% की वृद्धि हुई, चूँकि मार्च और मई 2020 के बीच इसके 3,217 मामले अधिकारियों के पास दर्ज कराये गए (जुलाई 2020)

- पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक बताते हैं की वे घरेलू दुर्व्यवहार से संबंधित ऑनलाइन थेरेपी सत्रों के अनुरोधों में वृद्धि देख रहे हैं

श्री लंका

- 16 मार्च से 01 अप्रैल 2020 के बीच, वीमेन इन नीड (विन) इस संस्था को लगभग 250 कॉल आये, जिसमें से 60% घरेलू हिंसा से संबंधित थे (अप्रैल 2020)

- श्रीलंका में नर्सों और कार्यकर्ताओं ने सरकार से लॉकडाउन के दौरान घरेलू दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए और ज्यादा राहत उपाय एवं अधिक हेल्पलाइन लाने का आग्रह किया हैं

1. इन क्षेत्रों में सहायता और समर्थन के लिए उपलब्ध सेवाओं के लिए सीमित या प्रतिबंधित पहुंच हैं
2. निजी कॉल करने में कठिनाइयों के कारण कुछ हेल्पलाइन कॉल में कमी की रिपोर्ट करते हैं
3. हिंसा से बचे लोगों के आश्रय स्थल बंद होने, आपातकालीन सेवाओं के संचालन में कमी और मोबाइल क्लीनिक और परामर्श सेवाओं के प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) का संबोधन

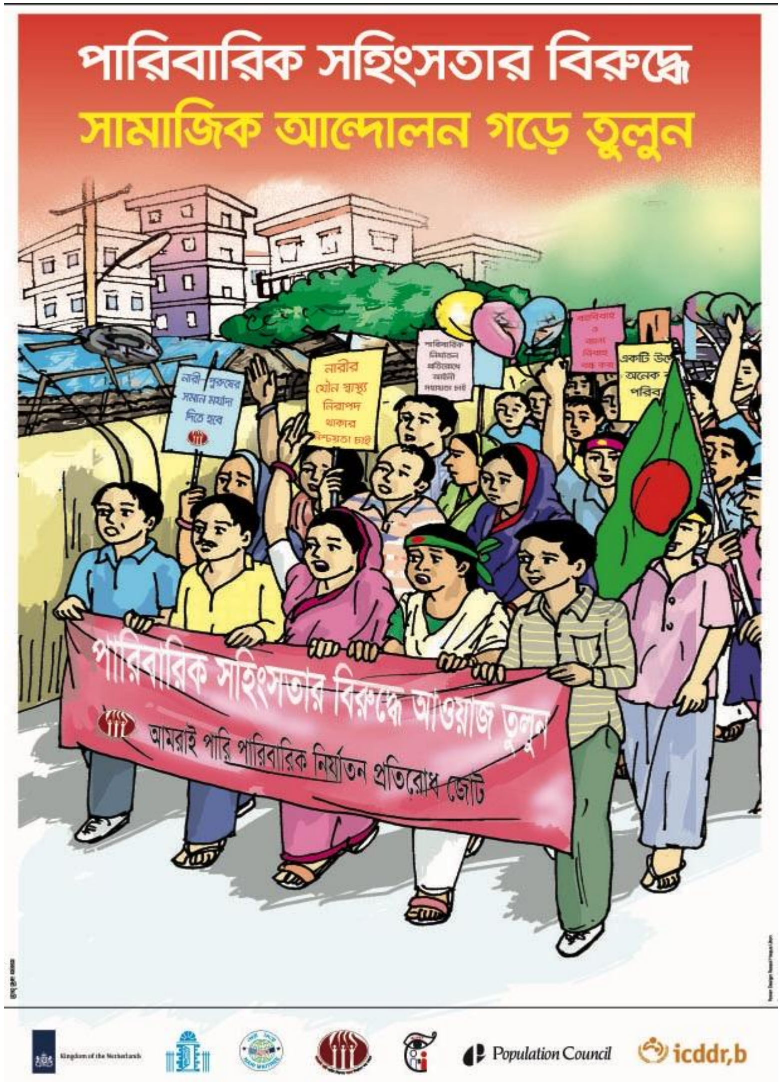

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

पृथक लेकिन अकेली नहीं

दक्षिण आशिया में महिलाओं के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन

देश	हेल्पलाइन नंबर
नेपाल	• राष्ट्रीय महिला आयोग - 1145 • LACC (कानूनी सहायता के लिए) -9841437949, 9841644515 • टीपीओ (मनोसामाजिक परामर्श के लिए) - 1660 010 2005 • साथी (आश्रय सेवाओं और परामर्श के लिए) - 9841607846, 9801038482 • सीडब्ल्यूआईएन (बच्चों से संबंधित मुद्दों के लिए) - 1018 • आशा संकट केंद्र (आश्रय और परामर्श के लिए) - 9801193088
पाकिस्तान	• पाकिस्तान के संघीय मानवाधिकार हेल्पलाइन - 1099 और व्हाट्सएप नंबर 0333 908 5709 • महिलाओं और बच्चों के लिए मददगार हेल्पलाइन- 111-911-922 • रोज़ा हेल्पलाइन- 0800-22444, व्यक्तिगत परामर्श - 051-2890505-7
श्री लंका	• राष्ट्रीय हेल्पलाइन - 1938

दक्षिण आशिया में महिलाओं के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

देश	हेल्पलाइन नंबर
बांग्लादेश	• महिला और बाल मंत्रालय (हॉटलाइन) मंत्रालय - 109 • गृह मंत्रालय (हॉटलाइन) के तहत वन स्टॉप क्राइसिस सेल - 999 • घरेलू हिंसा में मदद के लिए हेल्पलाइन - 16430 (महिला एवं बाल मामलों के मंत्रालय से) • ब्लास्ट हेल्पलाइन नंबर - 01715-220 220
भूटान	• महिला और बाल हेल्पलाइन नंबर - 1098 • रिन्यू - 17126353 • वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर - 77119024
भारत	• राष्ट्रीय हेल्पलाइन - 103 • घरेलू हिंसा हेल्पलाइन – 181 • महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर - 1091 और 1291 • राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) - 7217735372 (व्हाट्सएप नंबर)
मालदीव	• राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन - 1412 (COVID-19 के दौरान हॉटलाइन के रूप में प्रयुक्त) • हॉटलाइन - +960 9494869 (रानी के राष्ट्रमंडल ट्रस्ट द्वारा समर्थित)

दक्षिण आशिया में बच्चों के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

देश	हेल्पलाइन नंबर
अफ़ग़ानिस्तान	चाइल्ड हेल्पलाइन: 707199199 (किसी भी स्थानीय दूरसंचार नेटवर्क से टोल फ्री), परिचालन समय: 24/71
बांग्लादेश	चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 (टोल फ्री), संचालन समय: 24/7
भूटान	चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 (टोल फ्री), संचालन समय: 24/7
भारत	चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 (टोल फ्री), संचालन समय: 24/7
मालदीव	चाइल्ड हेल्पलाइन: 1412 (टोल फ्री), संचालन समय: 24/7
नेपाल	चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 (टोल फ्री), संचालन समय: 24/7
पाकिस्तान	पंजाब: सीपी कल्याण ब्यूरो: 1121 (टोल फ्री), परिचालन घंटे: 24/7 खैबर पख्तूनख्वा: CPWC: 1121 (टोल फ्री), ऑपरेशनल आवर्स: 24/7 सिंध: सीपी प्राधिकरण: ११२१ (टोल फ्री नहीं), परिचालन घंटे: 24/7 बलूचिस्तान: SWD DCPU: 081-111-666-775 (टोल फ्री नहीं), ऑपरेशनल आवर्स: 9 am-5pm
श्री लंका	चाइल्ड हेल्पलाइन: 1920 (टोल फ्री), ऑपरेशनल आवर्स: 24/7

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

सुरक्षा योजना

“घर के भीतर हिंसा झेल रही मैं एक अकेली घरखाता कामगार खुद को कैसे सुरक्षित रख सकती हूं?”

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

“कोविड-१९ महामारी के दौरान, मुझे एक बार फिर जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा है. महामारी के कारण मैंने अपना नौकरी का अनुबंध खो दिया है और एक बार फिर मेरे पास पैसे कमाने का स्रोत नहीं है. इसने मुझे 20 साल पीछे कर दिया है, क्योंकि मेरे पति और उनके परिवार के सदस्यों ने मुझे फिर से मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित करना शुरू कर दिया है ”
- अनीता (बदला हुआ नाम)

1. अगर अनीता अपने पति और परिवार के साथ उसी घर में रहने का फैसला करती है, तो उसकी सुरक्षा योजना में क्या शामिल होगा?

2. अगर अनीता घर छोड़ने का फैसला करती है, तो उसकी सुरक्षा योजना में क्या शामिल होगा?

3. क्या कोई व्यक्ति/ लोग हैं जिन्हें अनीता आपातकाल के दौरान संपर्क कर सकती थी? यह कौन हो सकता है ?

4. क्या कोई अलर्ट कोड है जो उन लोगों के साथ विकसित हो सकता है जो उसकी स्थिति से अवगत हैं और हिंसा का सामना करने पर उसकी मदद कर सकते हैं?

1. फरजाना अपने कार्यस्थल से लगकर ठेकेदार की इस तकलीफ को कैसे संबोधित कर सकती हैं?

2. क्या फरजाना को ठेकेदार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए या उसकी कार्रवाई की योजना बनाने के लिए उसके घरखाता कामगारों के संगठन से संपर्क करना चाहिए?

3. संगठन इस स्थिति को कैसे संबोधित कर सकते हैं?

"मैं एक घरखाता कामगार हूं. मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन ने मेरे कमाई के मुख्य समय बेरोजगार कर दिया, याने की अप्रैल-मई के शादी और ईद त्योहार के वक्त. आज मुझे मेरे जीवन में तीव्र गरीबी और लाचारी का सामना करना पड रहा है. ठेकेदार मुझे कुछ काम देने के लिए सहमत हो गया है लेकिन चाहता है कि मैं सामान लेने के लिए उसके घर पर अकेली जाऊँ. जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ, वह मुझे अनुचित तरीके से और जबरदस्ती छूता है."- फरजाना (बदला हुआ नाम)

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

"घरखाता कामगारों के संगठन की नेता के रूप में, मैं महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) को कैसे रोक सकती हूं, और घरखाता कामगारों को सहारा दे सकती हूं जब वे घर पर और/या ठेकेदारों और अन्य बिचौलियों से हिंसा का सामना करते हैं?"

1. क्या संगठन का हिस्सा होने से महिला घरखाता कामगार को हिंसा के विरुद्ध लड़ने और उसे संबोधित करने के लिए एक सामूहिक सहारा मिलता है?
2. घर पर हिंसा का सामना करने वाले HBWs को सामूहिक समर्थन किस तरीके से मिल सकता है?
3. ठेकेदारों और अन्य बिचौलियों के हाथों जिन घरखाता कामगारों को कार्यस्थल पर होनेवाली हिंसा का सामना करना पड़ता हैं, उन्हें संगठन किस तरह से सहारा और समर्थन दिला सकता है?
4. हम अपने समुदायों में महिलाओं पर होनेवाली हिंसा (VAW) को रोकने के लिए अपने संगठन में क्या कर सकते हैं?

Homenet SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

हमारे संगठन हमारी ताकत हैं

महिलाओं पर हिंसा करना एक अपराध है और सभी महिलाओं को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज़ करने और कानूनी सहायता लेने का अधिकार है

भेदभाव, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्त जीवन जीना हमारा मौलिक मानव अधिकार है

सभी के लिए प्रभावी सहायता सेवाएँ उपलब्ध हैं

Homenet
SOUTH ASIA
Network of Homebased workers in South Asia

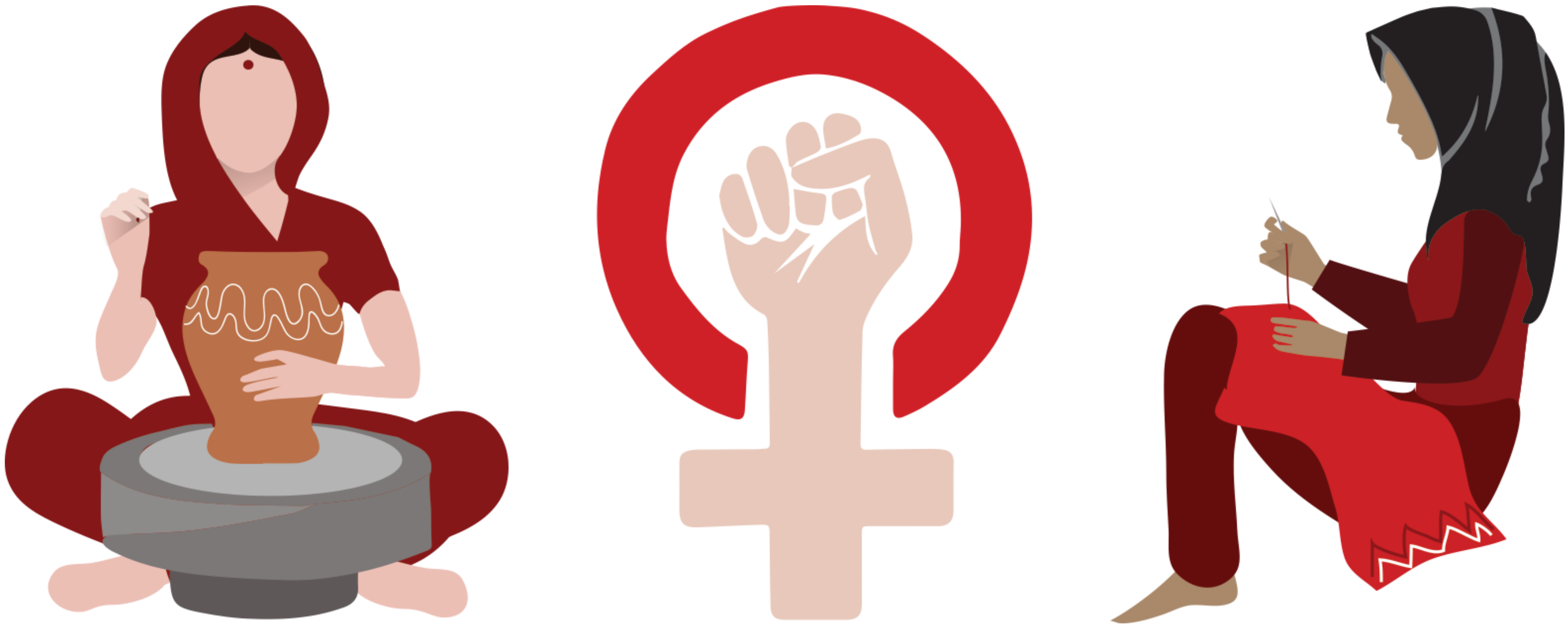

हम सब एक हैं!

तन्हा नहीं, तन्जीम है हम (अकेले नहीं, हम साथ हैं)